संख्या- 13/2026/143-12-3-2026-1391767

प्रेषक

ओम प्रकाश वर्मा ,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: 11-03-2026**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 9145 अन्तर्गत स्टेट लिंकड स्कीम UP74 National Project on Soil Health and Fertility 9503 की मृदा स्वास्थ्य प्रंबधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-शो0एवं0मृ0सर्वे0/1477/NPSHF/SNA-SPARSH/G-81-(के060/रा040)/2025-26, दिनांक 19.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-81 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष संगत राज्यांश सहित के लेखा शीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0105-नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (के.60/रा.40-के) के रू0 13.17 लाख (रु0 तेरह लाख सत्रह हजार मात्र) (के0+रा0) की वित्तीय स्वीकृति एस0एन0ए0-स्पर्श के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधान वित्तीय वर्ष 2025-26	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
अनुदान संख्या-81 केन्द्रांश के लेखा शीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0105-नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (के.60/रा.40-के)	27-सब्सिडी	8.94	**2.00**	**0.0**
	42-अन्य व्यय	12.31	**5.00**	**0.0**
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	31.44	**13.50**	**13.17**
	44-प्रशिक्षण यात्रा एवं अन्य प्रांसगिक व्यय	4.89	**2.00**	**0.0**
योग		**57.58**	**22.50**	**13.17**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(रू0 तेरह लाख सत्रह हजार मात्र)

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा तथा विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का उत्तरदायित्व होगा तथा कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03. 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

11- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- **E-1-282-X-2025-26-दिनांक:28-2-2026** द्वारा प्रदान की गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ओम प्रकाश वर्मा
अनु सचिव।

सं0- 13/2026/143(1)/12-3-2026-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7- संयुक्त कृषि निदेशक (शो0एवं0मृ0सर्वे0), कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।

10- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11- संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।

12- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 /कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।